Annex-02/P-1

संख्या: 166/15-(13)/91-4(26)/90

प्रेषक,

श्री ए० के० श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन
2/19, सन्त विहार, अन्सारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली।

शिक्षा (3) अनुभाग   लखनऊ : दिनांक: 5 मार्च, 1991

विषय: सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल, मेरठ को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

xx-x-x-x-xx

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल, मेरठ को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिये सुरक्षित होंगे तथा उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

4- संस्थान के सभी अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा।

--2/-

Annex-02/P-2

6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा ।

ख- विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।

2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिये उचित आकार के कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।

3- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय

(के० के० श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

सं०: 1661(1)/15-11(3)/91-4(26)/90 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- शिक्षा निदेशक, शिक्षा सा०-2 अनुभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल, मेरठ ।

आज्ञा से,

AKS, 4/3

(के० के० श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

Attested

Principal
City Vocational Public School
Meerut